न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26 / 2019

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
1. अमिया पुत्री वाहना पत्नि हेमराज जाति कोली निवासी तारासरा (भलगांव) तहसील सेड़वा हाल निवासी आकोली तहसील वाव जिला बनासकाठा, गुजरात 2. हेमी पुत्री वाहना पत्नि शंकर जाति कोली निवासी तारासरा (भलगांव) तहसील सेड़वा हाल निवासी आकोली तहसील वाव जिला बनासकाठा, गुजरात		1. तहसीलदार चौहटन 2. तहसीलदार सेड़वा 3. रामाराम पुत्र भैराराम 4. रेशम पुत्री भैराराम जाति कोली निवासी तारासरा (भलगांव) तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 50 दिनांक 08.02.1983 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनसिंह सोढा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3व4 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1व2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 16.04.2025

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम तारीसरा (भलगांव) तहसील चौहटन के नामान्तरकरण सं. 50 पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.02.1983 के विरूद्ध दिनांक ... 2019 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा तारीसरा (भलगांव) के खसरा नंबर 75 एवं 76 कुल रकबा 132–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट्स के दादा दुरगा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार अपीलांट्स के दादा दुरगा के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 16.12.1972 को अपीलांट के पिता व उसके भाई भैरा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। अपीलांट्स के पिता वाहना वर्ष 1982–83 मे फौत हो गये तथा अपीलांट्स के पिता के फौत होने पर हलका पटवारी बांकासर द्वारा नामान्तरकरण सं. 50 में मृतक वाहना के वारीस के रूप में भैरा वल्द दुरगा के नाम दर्ज कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार चौहटन द्वारा अमिया एवं हेमी को मृतक वाहना का उत्तराधिकारी नहीं मानते हुए शेष के नाम नामान्तरकरण आदेश दिनांक 08.02.1983 को स्वीकृत कर दिया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 26/2019 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेशों के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 01.07.2019 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस की कि मौजा तारीसरा (भलगांव) के खसरा नंबर 75 एवं 76 कुल रकबा 132–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट्स के दादा दुरगा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदार अपीलांट्स के दादा दुरगा के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 16.12.1972 को अपीलांट के पिता व उसके भाई भैरा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। अपीलांट्स के पिता वाहना वर्ष 1982–83 मे फौत हो गये तथा अपीलांट्स के पिता के फौत होने पर हलका पटवारी बांकासर द्वारा नामान्तरकरण सं. 50 में मृतक वाहना के वारीस के रूप में भैरा वल्द दुरगा के नाम दर्ज कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार चौहटन द्वारा अमिया एवं हेमी को मृतक वाहना का उत्तराधिकारी नहीं मानते हुए शेष के नाम नामान्तरकरण आदेश दिनांक 08.02.1983 को स्वीकृत कर दिया। उतरदाता संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 50 स्व. वाहना के फौत होने पर गलत रूप से उतरदाता संख्या 3व4 के पिता भैरा के नाम पारित करने एवं अपीलांट वाहना की वैध जायंदा पुत्री होने से स्व. वाहना की वैध एवं प्रथम श्रेणी की वारिश होने के पश्चात भी नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 50 अपास्त करते हुए अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रकट किया कि नामान्तरकरण संख्या 50 का ज्ञान अपीलांट्स को वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु उतरदाता संख्या 3 से कहा तो उतरदाता संख्या 3 ने कहा कि आपका इस भूमि में नाम ही नहीं है तो बंटवाडा क्या करओगी। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 24.06.2019 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 50 दिनांक 08.02.1983 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा तारीसरा (भलगांव) के खसरा नंबर 75 एवं 76 कुल रकबा 132–08 बीघा भूमि खातेदार अपीलांट्स के दादा दुरगा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार अपीलांट के दादा दुरगा के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 16.12.1972 को अपीलांट के पिता व उसके भाई भैरा का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। अपीलांट्स के पिता वाहना वर्ष 1982–83 मे फौत हो गये तथा अपीलांट्स के पिता के फौत होने पर हलका पटवारी बांकासर द्वारा नामान्तरकरण सं. 50 में मृतक वाहना के वारीस के रूप में भैरा वल्द दुरगा के नाम दर्ज कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार चौहटन द्वारा अमिया एवं हेमी को मृतक वाहना का उत्तराधिकारी नहीं मानते हुए शेष के नाम नामान्तरकरण आदेश दिनांक 08.02.1983 को स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार चौहटन द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन ही नामान्तरकरण की स्वीकृति से पूर्व मृत खातेदारान के वारिसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट ग्रामीण क्षेत्र की महिला है जिसे अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 50 का तत्समय ज्ञान नहीं होने का तथ्य स्वभाविक प्रतीत होता है। [illegible] नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

शुमार की जाती है। अपीलांट्स स्वर्गीय खातेदार वाहना की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 50 में अपीलांट को प्रथम श्रेणी वारिस होते हुए सम्मिलित नहीं करने से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौजा तारीसरा (भलगांव) के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 50 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक वाहना के वास्तविक वारीसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:01 IST
Reason: SelfAttested